न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नारायण वगै० बनाम पप्पू मु.नं.– 06/25 किस्म – इंजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10-4-26 पीठासीन अधिकारी अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.4.26 को पेश हो।

20.4.26 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06/2025	17.01.2025	20.04.2026

बउनवान

1. नारायण पुत्र सुवालाल, निवासी बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. रामखिलाड़ी पुत्र सुवालाल, निवासी बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. रामसिंह पुत्र सुवालाल, निवासी बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..वादीगण

बनाम

1. पप्पू पुत्र रामकिशन, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. हरिओम पुत्र रामकिशन, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. खुशीराम पुत्र विश्राम, निवासी बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
4. गीता देवी पत्नि रामकिशन, निवासी बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
5. उर्मिला पत्नि विश्राम, निवासी बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
6. हरिकिशन पुत्र ख्यालीराम, निवासी बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक वादीगण– श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक प्रतिवादीगण – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 59 के खसरा सं. 54, 55, 624, 674, 72, 73, 77, 81, कुल किता 08, कुल रकबा 1.01 हैक्टे. ग्राम बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादीगण निहायत ही गरीब व्यक्ति है, काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरुद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो भूमाफिया एवं पैसे वाले है। प्रतिवादीगण वादीगण की गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुये वादीगण की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा ऐलानियां धमकी दे रहे है कि वादीगण की विवादित आराजीयात की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहेंगे एवं पुख्ता निर्माण करके कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करके नाकाबिल काश्त कर देंगे तथा वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे। वादीगण को उनकी भूमि पर आने जाने भी नहीं देगे। यदि भूमि पर आये तो जान से मार देगे एवं फसल भी नहीं बोने देंगे। प्रतिवादीगण धमकी दे रहे है कि हम वादीगण की भूमि पर हर सूरत में कब्जा करके रहेंगे। प्रतिवादीगण दिनांक 15.12.2024 को एक दम एक राय होकर,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हाथों में लाठी डण्डे व ट्रेक्टर लेकर वादीगण की भूमि पर जबरन बजरी पत्थर डालने के लिये आ गये व कब्जा करना शुरू कर दिया। वादीगण ने मना किया तो जान से मारने को आमादा हो गये, बड़ी मुश्किल से आस पास के लोगों ने समझा बुझाकर प्रतिवादीगण को वापिस किया। फिर भी प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि हम वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करके निर्माण करके रहेंगे एवं वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पड़ेगे जो बाय से बरबादी वादीगण होगे। ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा के और कोई चारा नजर नहीं आया। इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया। बिनाय दावा व बिनाय मुखास्तमत दिनांक 15.12.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने आने से व पुख्ता निर्माण करने की धमकी देने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है। दावा अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जाये कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने नौकरों एजेन्टों घरवालो या अन्य मददगारान के उक्त विवादित आराजीयात में अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादीगण को काश्त करने में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा करने से, वादीगण को फसल बोते, काटते समय किसी भी प्रकार का झगडा फिसाद करने से, पेड पोधो को खोदने से काटने से दवामि तौर पर पांबद रहे। मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें ।

2. वादीगण का वाद पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब दावा नोटिस जारी किए गए। नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद, प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

3. वादीगण की ओर से स्वयं वादीगण नारायण, रामखिलाडी एवं रामसिंह पुत्र सुवालाल साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिसमे वाद पत्र के अभिवचनो को दोहराया गया तथा वाद पत्र के समर्थन में उक्त विवादित अराजीयात की जमाबंदी संवत् 2074–2077 प्रदर्श–1 की ।

4. वादपत्र पर विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार वाद पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण ने वाद पत्र को मनगढंत बताया एवं वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया। स्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में प्रावधान है कि :

188. दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश– *(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए बाद ला सकेगा।*

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित मामलों में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, अर्थात:–

(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो;

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हो कि धनीय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो कि अतिक्रमण के लिए धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हों।

5. विवादित आराजीयात की जमाबंदी संवत 2074–2077 से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 54, 55, 624, 674, 72, 73, 77, 81 के वादीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि प्रतिवादीगण इसके रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। वाद पत्र के जरिये वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिचार किये जाने से बचाने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या 59 के खसरा सं. 54, 55, 624, 674, 72, 73, 77, 81, कुल किता 08, कुल रकबा 1.01 हैक्टे. के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 20.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
वाद पत्र सं. 06/2025 GCMS No.2025/12
नारायण वगै. बनाम पप्पू वगै.
पर्चा डिक्री दिनांक 20.04.2026

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **नारायण वगै. बनाम पप्पू वगै.**

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 06/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री लीलाराम मीना, एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदई तथा श्री लक्ष्मीनारायण मीना एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 54, 55, 624, 674, 72, 73, 77, 81, कुल किता 08, कुल रकबा 1.01 हैक्टे. के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20.04.2026 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा.....			बबत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)